

# कार्यालय, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

संख्या 161571 / न०पा०परि०मं० / अति अल्पकालिक निविदा सूचना / 2023

दिनांक 08 अगस्त, 2023

## अति अल्पकालिक निविदा सूचना

स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी शासकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निम्न निर्माण हेतु अति अल्पकालिक दिनांक 11.08.2023 अपरान्ह 02:00 बजे तक न.पा.परि. मंझनपुर कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी। प्राप्त निविदा लिफाफा को उसी दिनांक 11.08.2023 अपरान्ह 03.00 बजे कार्यालय में उपस्थित निविदादाताओं/निविदा कमेटी के समक्ष खोला जायेगा, निविदा में सम्मिलित कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है -

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी.एस.टी. रहित) (लाख में)	बिड सिक्वोरिटी (ई.एम.डी. 10%) (रु० में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	वार्ड न० 07 ड० श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मजरा कटरा नगर में बरदहाई तालाब के पास के पास 20 मीटर पोल पर तिरंगा झण्डा अधिष्ठापन कार्य।	6.79	67900.00	801.00	03 दिवस
2	नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत साईन बोर्ड का अधिष्ठापन कार्य।	3.85	38500.00	454.00	03 दिवस

### नियम/शर्तें:-

- निविदा प्रपत्र के साथ किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ ही ठेकेदार/फर्म के द्वारा अपना अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण पत्र (I-4), हैसियत प्रमाण पत्र (I-5), निर्धारित मूल्य (रु० 100) के एकल न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर कार्य के नाम के स्पष्ट उल्लेख के साथ घोषणा पत्र (I-6), GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, श्रम विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र, निर्धारित मूल्य (रु० 10) के एकल गैर-न्यायिक स्टॉम्प पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजीकृत है, विषयक शपथ पत्र की मूल प्रति स्पष्ट रूप से पठनीय हो, सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य।
- निविदा शुल्क की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा मंझनपुर IFSC कोड PUNB0486900 खाता संख्या 4869000100057833 जो NPP Manjhanpur Tender Fees/Security के नाम से खुले बैंक खाते में जमा करना होगा तथा जमा धनराशि का प्रमाण देना अनिवार्य होगा या कार्यालय नगर पालिका परिषद मंझनपुर में नकद जमा करना होगा, तभी निविदामान्य होगी।
- निविदा प्रपत्र के साथ 10% जमानत धनराशि का FDR जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पदनाम से बन्धक हो, को मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अंशया सम्बन्धित कार्य की तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यह भी किसी भी कार्य की निविदा के साथ संलग्न जमानत धनराशि की FDR की प्रति मात्र एक कार्य की निविदा में ही मान्य होगी अर्थात् जमानत धनराशि के FDR में उल्लिखित धनराशि अधिक होने पर भी उपरोक्त जमानत धनराशि का FDR किसी अन्य कार्य की निविदा में मान्य नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय के शासनादेश संख्या 496/कम्प्यू०रेल/2017-18 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 के अनुरूप निविदादाता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि तथा शर्तों निविदामान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण पाये जाने पर आंशिक रूप से या सम्पूर्ण निविदाप्रक्रिया को निरस्त करने अथवा संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- उपरोक्त निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यों में निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के द्वारा निर्गत निर्देश पत्र संख्या टी.सी./314/8/डी.एल.वी./2020 दिनांक 01.01.2021 में निर्माण कार्यों हेतु उल्लिखित दिशा निर्देशों तथा अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग अनुभाग-9 उ०प्र० शासन के द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकास कार्यों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) विषयक निर्गत शासनादेश संख्या 1319/नौ-9-21-45ज/21 नगर विकास विभाग, अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित समस्त निर्देशों के साथ ही निम्न-निम्न समय में उच्चाधिकारियों के द्वारा निर्गत किये गये तथा भविष्य में निर्गत होने वाले समस्त दिशा निर्देशों का अनुपलन करना होगा।
- निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यों हेतु जमा की गयी जमानत धनराशि को अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्गत एस.ओ.पी. दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष तक कार्य संतोपजनक विषयक अभियंत्रण विभाग की आख्या के अनुसार अयमुक्त किया जायेगा।
- शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08 टी०सी०-2 लोक निर्माण अनुभाग-12, लखनऊ दिनांक 08.06.2012 के अनुसार अनुबंध गठन के समय 10 प्रतिशत विलो (Below) दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक विलो (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम पर सिविलियोरिटी/परफार्मेंस गारण्टी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर ठेकेदार को अनुबन्ध कराना होगा।
- प्रत्येक स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध से पूर्व ठेकेदार को श्रम विभाग में अधिष्ठापन पंजीयन एवं निर्माण श्रमिक पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
- स्वीकृत कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की कलर फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच/सत्यापन हो जाने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पायी जायेगी तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा जमानत धनराशि जब्त करते हुए अन्य कोई विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
- निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज-9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
- उपरोक्त निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा तथा समस्त विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद कौशाम्बी होगा।

08/08/23

(ओमकार पटेल)  
अवर अभियन्ता (सिविल)  
नगर पालिका परिषद  
मंझनपुर-कौशाम्बी

(अ.स.राय)

अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
मंझनपुर-कौशाम्बी

(वीरेंद्र कुमार)

अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद  
मंझनपुर-कौशाम्बी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को अवलोकनार्थ।
- विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक समाचार पत्र लोकमित्र एवं स्पष्ट आवाज को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञापन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करके उसकी दो प्रतिया इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जिससे प्रकरण में आग्रिम कार्यवाही की जा सके।
- नगर पालिका परिषद मंझनपुर की वेब साइट [www.nppmanjhanpur.in](http://www.nppmanjhanpur.in) पर अपलोड किये जाने हेतु।
- कार्यालय नगर पालिका परिषद मंझनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

(अ.स.राय)  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
मंझनपुर-कौशाम्बी